न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (पीठासीन अधिकारी—अमनदीप सिंह छाबडा)

आप. प्रक. क.—1029 / 2014 संस्थित दिनांक—05.11.2014 फा.नं.—234503011762014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिरसा, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

/ <u>विरूद</u> //

संदीप पिता गंगाराम बघेल, उम्र—27 साल, निवासी बोरी चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक 12/10/2017 को घोषित)</u>

- 01— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354, 323 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 19.10.2014 को दिन के 11:00 बजे पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बोरी तालाब में फरियादी कुमारी मीरा बोरकर जो एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आषय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा आहत कुमारी मीरा बोरकर को हाथ—मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया।
- 02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी कुमारी मीरा बोरकर ने थाना आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 19.10.2014 को अपनी सहेली मोहनी के साथ गांव के तालाब में नहाने गई थी, तब आरोपी संदीप तालाब के पास आया और उसे नहाते हुए देख रहा था और छेड़खानी करने के आशय से पानी के अंदर पत्थर(गोटा) मारने लगा और उसके मना करने पर बुरी नियत से हाथ एवं बाल पकड़कर खींचतान कर हाथ—मुक्कों से मारपीट किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका—नक्शा, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने से चालान क. 129/14 दिनांक 04.11.14 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
- 03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354, 323 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार

किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी / आहत कुमारी मीरा बोरकर ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 के शमनीय नहीं होने से विचारण किया गया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्निलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

01. क्या आरोपी ने दिनांक 19.10.2014 को दिन के 11:00 बजे पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बोरी तालाब में फरियादी कुमारी मीरा बोरकर जो एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आषय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

सकारण निष्कर्ष :-

- फरियादी कुमारी मीरा बोरकर(अ.सा.1) ने कहा है कि वह आरोपी को जानती है। उसका आरोपी से मौखिक विवाद हो गया था, जिस कारण उसने उसके विरूद्ध चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में रिपोर्ट लेख कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसका मुलाहिजा नहीं हुआ था। पुलिस मौके पर नहीं आई थी और मौका—नक्शा प्र.पी.02 उसके समक्ष तैयार नहीं किया गया था। मौका—नक्शा प्र.पी.02 में उसके हस्ताक्षर नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 19.10.2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में आरोपी संदीप के विरूद्ध बुरी नियत से छेड़छाड़ कर उसका हाथ पकड़कर खींचतान किया था और उसके साथ मारपीट किया था की रिपोर्ट लेख कराई थी तथा पुलिस ने उसके समक्ष मौका—नक्शा प्र.पी.02 बनाया था तथा उसने पुलिस को प्र.पी.03 के कथन दिये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है, इसलिये वह असत्य कथन कर रही है।
- 06— फरियादी कुमारी मीरा बोरकर अ.सा.01 ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। उसका आरोपी से समझौता हो गया है और वह आरोपी के विरूद्ध अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। फरियादी कुमारी मीराबाई अ.सा.01 घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी

स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में आरोपी के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी कुमारी मीरा बोरकर जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः आरोपी संदीप बघेल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

07- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

08— प्रकरण में आरोपी दिनांक 21.10.2014 से दिनांक 30.10.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

सः । नदीपरिः । मजि.प्र.श्रेणः जिला—बालाः । जिला—विश्विति । स्विति सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,